

## मंडल की 9.1.2018 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

<b>क्र.</b>	<b>संकल्प सं.</b>	<b>विषय</b>	<b>लिए गये निर्णय</b>	<b>विभाग/ प्रभाग</b>
1.	170	पोर्ट सम्पत्तियों का बिमा - बिमा का नवीनीकरण.	टिप्पणी के परिच्छेद 12 का विस एवं मुलेअ का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	वित्त
2.	171	मंडल की 10 नवंबर, 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी।	मंडल की 10.11.2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी की जाती है।	सामान्य प्रशासन
3.	172	मंडल की 27 नवंबर, 2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी।	मंडल की 27.11.2017 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी की जाती है।	सामान्य प्रशासन
4.	173	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट लाभार्थियों को दो वर्षों की अवधि के लिए पैकेज मदों के लिए मुंपोट्र मानकदरों तथा नॉन-पैकेज मदों के लिए छूट के मानक प्रतिशत के अनुसार क्रेडिट आधारपर सहायक इलाज सुविधा तथा उच्च विशिष्ट इलाज सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के साथ निजी अस्पतालों/रोग निदान विज्ञान केंद्रों की नाम सूची के लिए रुची प्रकट करने के संबंध में ऑनलाइन निविदा सं.सीएमओ-12/2017.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	चिकित्सा
5.	174	14 अप्रैल 1944 को विस्फोट में मारे गये अथवा गायब पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारियों तथा अग्निशमन सेवा कर्मियों के परिवारों को पेंशन में सुधार.	जीवित पारिवारिक पेंशनरों के लिए विस्फोट पेंशन 1.1.2012 से ₹5000 से ₹10,000 तक संशोधित की जाती है।	वित्त
6.	175	मुंपोट्र दरमानों में कचरा ग्रहण सुविधा हेतु प्रभारों में वृद्धि.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का उपसंरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	समुद्री
7.	176	पीरपॉव में युजर एंजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड तथा केमिकल टर्मिनल ट्रॉम्बे लि. द्वारा संयुक्त सुविधाओं (यानी मरीन लोडिंग आर्स) के साथ प्रथम रसायन घाट से द्वितीय रसायन घाट तक पहले बढ़ायी गयी पाइपलाइनों के विशेष मार्गातुमाहि के नियम एवं शर्तों को अतिंम रूप देना।	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का मुख्य अभियंता (विभागप्रमुख संपदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	स्थापत्य (संपदा)

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
8.	177	मुंपोट्र वर्कशॉप में असुरक्षित ढाँचा गिराना।	रेल्वे लाइन के पास के भंडार कक्ष तथा बॉयलर शॉप के पास के आराम गोदाम गिराने हेतु मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता हैं। जहाँ तक कारपेंटर शॉप/खलासी आराम कक्ष तक के निर्माण विस्तार का संबंध है, मुख्य अभियंता इसे गिराने हेतु कार्यवाई प्रारंभ करने से पहले मुख्य यांत्रिक अभियंता से संपर्क करें।	स्थापत्य
9.	178	ई-निलामी के माध्यम से अनिकासित/ बेदावी मालों के निपटान के लिए उपाध्यक्ष की समिति में सीमाशुल्क से सदस्य के शामिल करने हेतु अनुमोदन।	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	यातायात
10.	179	ट्रायबल को. ऑपरेटीव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन इंडिया लि. द्वारा ट्रायबल हस्तशिल्प/उत्पादों के लिए शोरूम/शॉप के लिए स्थान आबंटन हेतु अनुरोध।	प्रतिमाह 3610 रूपये प्रतिवर्ग मीटर अथवा उसके भाग के दर के लायसंस शुल्क पर टिप्पणी के परिच्छेद 12 का यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।	यातायात
11.	180	अन्तरराष्ट्रीय यात्री जहाज के आगमन के दौरान मुंबई पोर्ट के बीपीएक्स यात्री टर्मिनल पर अस्थायी स्टॉल्स/शॉप्स लगाने के लिए स्थान आबंटन हेतु निविदा।	टिप्पणी के परिच्छेद 8 के यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया जाता है।	यातायात
12.	181	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के मुंबई अन्तरराष्ट्रीय यात्री टर्मिनल में निःशुल्क शॉप लगाने के लिए लायसंस आधार पर क्षेत्र के आबंटन हेतु निविदा।	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है, जिसमें फ्लेमिंगो ड्युटी फ्री शॉप प्रा.लि. को 28.11.2017 से 6 महीने की अवधि अथवा नया लायसंस देने तक, जो भी पहले हो, लायसंस का विस्तार शामिल है।	यातायात
13.	182	तटीय जहाजों के संबंध में उगाहा गया डबल बैंकिंग प्रभार।	टिप्पणी के परिच्छेद 17 का उपसंरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	समुद्री

क्र. सं.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
14.	183	फ्लोटिंग क्रेन 'श्रेष्ठा' का निपटारा.	टिप्पणी के परिच्छेद 9 का उपसंरक्षक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	समुद्री
15.	184	मुंपोट्र कर्मचारी (भवप) विनियम, 2010 में समुद्री अधियंता पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन.	चयन में "पद अर्हकता" शब्द हटाने के साथ अथवा महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 28 के साथ पठनीय मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नती) विनियम 2010 के विनियम 5 के अन्तर्गत अनुलग्नक I में यथाप्रस्तुत भर्ती नियम में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी प्रदान की जाती है, बशर्ते कि इसीकी धारा 124(i) के अन्तर्गत सरकारी मंजूरी मिले.	सामान्य प्रशासन (मा.सं.)
16.	185	जवाहरद्वीप, मुंबई हार्बर स्थित 5 वे ऑइल घाट परियोजना के लिए सिविल कार्य - आयटीडी सीमेटेशन, ठेकेदार के मजदूरों और कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आवास.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अधियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
17.	186	दो वर्षों की अवधि के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल को औषधियों की आपूर्ति हेतु दर संविदा के लिए ऑन लाइन निविदा पुनः मंगाने के लिए पूर्व अर्हता मापदंण्ड.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
18.	187	जो सेवायें मुंबई पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं उसके लिए मुंपोट्र मरीजों को सूचीबद्ध अस्पतालों में भेजने हेतु मार्गदर्शन तत्व.	चर्चा टिप्पणी में प्रकटनुसार संशोधन के साथ टिप्पणी के परिच्छेद 10 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
19.	188	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ प्रारूप समझौता ज्ञापन - ह्युजेस निर्जल गोदी तथा इंदिरा गोदी में जहाज मरम्मत सुविधामें सुधार, विकास तथा प्रचालन करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य यांत्रिक अधियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
20.	189	ओसीटी के उपलब्ध कंकरीट ब्लाकों का उपयोग कर के घाट सं.3 तथा 4 स्थित है बंदर घाट दीवार का पुनःनिर्माण.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
21.	190	सहा. निदेशक (ईडीपी) (₹9100-15100), उप निदेशक (ईडीपी) (₹10750-16750) तथा वरि. उप निदेशक (ईडीपी) (₹13000-18250) ईडीपी प्रभाग के पदों के लिए प्रस्तावित भर्ती नियम.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 28 के साथ पठनीय मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नती) विनियम, 2010 के विनियम 5 के अन्तर्गत अनुलग्नक I में यथाप्रस्तुत भर्ती नियमों में प्रस्तावित संशोधन, बशर्ते कि, इसी की धारा 124 (i) के अन्तर्गत सरकारी मंजूरी मिले, अनुमोदित है.	सामान्य प्रशासन
22.	191	लाइटरेज प्रचालन के लिए स्टीविडोरिंग प्रभारों की उगाही.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव जिसकी एक वर्ष के बाद समीक्षा करनी है, अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
23.	192	पीरपॉव स्थित भूखण्ड सौपना, पट्टाधारक - राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टीलाइजर्स लि. (आर सी एफ) (कोड सं. 10104102).	टिप्पणी के परिच्छेद 14 का मुख्य अभियंता (विभाग प्रमुख संपदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य (संपदा)
24	193	ई-प्लेटफार्म ॲप्लीकेशन के लिए मोबाइल ॲप्लीकेशन एवं वेब पोर्टल और ग्राहक संपुष्टीकरण के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण तथा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के लिए आंतरिक रेटिंग (फीडबॉक पोर्टल प्रणाली) का कार्यान्वयन.	टिप्पणी के परिच्छेद 12 का संयुक्त निदेशक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	ईडीपी
25.	194	निविदा सं.ई.116/2017 - सिवरी से एलिफण्टा द्वीप तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के लिए अनापत्ति प्राप्त करने के लिए परामर्श सेवायें.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
26.	195	निविदा सं.ई-136/2017- जवाहरद्वीप मुंबई पोर्ट के दक्षिण-पश्चिम छोटी खाड़ी समतल करना - प्रस्ताव की स्वीकृती.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

क्र. सं.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
27.	196	प्रिंसेस तथा विक्टोरिया गोदी के प्रस्तावित घरेलू कुंज टर्मिनल में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराना।	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का मुख्य यांत्रिक अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	यांत्रिकी
28.	197	मुं. पो. ट्र. में सूचना एवं संचार तकनीकी ज्ञान की आधारभूत सुविधा के लिए आयटी सुरक्षा लेखा परीक्षा का कार्यान्वयन -उन्नत संगणकीय विकास के लिए नामांकन आधार पर सेन्टर को कार्य संविदा देना।	टिप्पणी के परिच्छेद 11 का संयुक्त निदेशक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	ईडीपी
29.	198	ओएनजीसी से संबंधित मुद्दे - घाट शुल्क प्रतिपूर्ति, विशेष मार्गाधिकार शुल्क तथा सेवाकर संबंधी बकाया राशि -12 विक्टोरिया गोदी में अधिग्रहित क्षेत्र के लिए किराया राशि।	टिप्पणी के परिच्छेद 12 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।	यातायात
30.	199	नई मुंबई तथा थाणे में यातायात संकीर्णन तथा वाहन प्रदूषण कम करना जो जेएनपीटी के मुंबई में खपतवाले माल के कारण होता जो भिवंडी वेअरहाउस जाता है और उसके बाद खपत के लिए मुंबई आता है।	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को सैध्दांतिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।	यातायात

.....

c4/Pro 9 January 2018/actiontaken20180109(hindi)